बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 5606038 दिनांक :- 15/05/26

ग्रा०वि०-04/प्रखंड भवन-02-10/2025

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार

विषय:- **प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राशि ₹11,28,27,320/- (ग्यारह करोड़ अठाइस लाख सत्ताइस हजार तीन सौ बीस) का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या- 4102756 दिनांक- 20.05.2025 द्वारा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विभागीय पत्रांक- 4128265 दिनांक- 26.05.2025 द्वारा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु दिशा-निर्देश निर्गत है। पत्र की कंडिका-11 के अनुसार राशि का आवंटन जिलों को किया जाना है, जिसे जिलों द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखंडों को नियमानुसार उपआवंटित किया जायेगा।

3. तदनुसार विभागीय मांग संख्या-42, मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0010-प्रखंड स्थापना, 28-02-संविदा सेवाएं विपत्र कोड-42-2515000010010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह-मार्च, 26) एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 (अप्रैल, 26 से जून, 26 तक) के लिए संलग्न जिलावार सूची के अनुसार कुल राशि ₹11,28,27,320/- (ग्यारह करोड़ अठाइस लाख सत्ताइस हजार तीन सौ बीस) आवंटित की जाती है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं संख्या-235 दिनांक- 01.04.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं०-4102756 दिनांक- 20.05.2025 एवं विभागीय पत्रांक- 4128265 दिनांक- 26.05.2025 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

Awantan

6. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे एवं राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार की जायेगी।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय तथा व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव की सहमति/अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

15.5.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :- 5606038 दिनांक :- 15/05/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार /सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.5.26

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :- 5606038 दिनांक :- 15/05/26

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग को सी०एफ०एम०एस० प्रणाली में राशि आवंटित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.5.26

सरकार के अपर सचिव